न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर०ए०एस०)

अपील नं० [illegible] /2007	दायरा दिनांक 20.01.2007	निर्णय दिनांक [illegible]

1. तुलसा पुत्री स्व० गंगाधार पत्नी रामसहाय उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी चौहानपुरा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर (मृतक)
1/1 राजन्ती पत्नी मदनलाल पुत्री रामसहाय गुर्जर निवासी श्यामपुरा तहसील सवाई माधोपुर
1/2 रामवीर पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी चौहानपुरा तहसील मलारना डूंगर
1/3 बत्ती पत्नी रमेश गुर्जर पुत्री रामसहाय गुर्जर निवासी मक सूर्द तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. मथुरा पुत्री स्व० कल्ला पत्नी सुरज्ञान उम्र 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी दूमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्टस

बनाम

1. रामबाई बेवा मांग्या उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सिणोली तहसील पीपलदा जिला कोटा
2. हरी पुत्र मांग्या उम्र 22 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सिणोली तहसील पीपलदा जिला कोटा
3. फोरी पुत्री मांग्या उम्र 25 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सिणोली तहसील पीपलदा जिला कोटा
4. ग्राम पचायत मुई जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मुई तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पाण्डेन्ट

अपील विरूद्व तजवीज ग्राम पंचायत मुई दिनांक 22.05.1987 नामान्तकरण संख्या 327 तथा तजवीज ग्राम पंचायत मुई दिनांक 24.06.1999 नामान्तकरण संख्या 37

उपस्थित:—

1. श्री भगवानदास माली एड0 प्रार्थी की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sing
Date: 2025.09.11 16:58:33 IST
Reason: SelfAttested

:— निर्णय —:

अपीलान्टस ने जरिये वकील एक अपील विरूद्व तजवीज ग्राम पंचायत मुई दिनांक 22.05.1987 नामान्तकरण संख्या 327 तथा तजवीज ग्राम पंचायत मुई दिनांक 24.06.1999 नामान्तकरण संख्या 37 पेश की जिसका

विवरण इस प्रकार है नीमली कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 149/3 रकबा तीना बीघा खसरा नंबर 181/3 व 181/4 रकबा चौदह बिस्वा तथा खसरा नंबर 193 रकबा तेरह बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा चार बीघा सात बिस्वा किस्म बारानी तीन अपीलांट संख्या 1 तथा अपीलांट संख्या 2 के पिता क्रमशः गंगाधर व कल्ला पिसरान हरचंदा जाति गुर्जर को अलोटेड भूमि थी, जिसकी खातेदारी आवंटी गंगाधर व कल्ला के नाम अंकित थी। परंतु अपीलांट संख्या 1 की छोटी उम्र में ही अपीलांट संख्या 1 की माता एवं पिता गंगाधर का स्वर्गवास हो जाने कारण अपीलांट संख्या 1 के पिता गंगाधर के हिस्सा 1/2 की भूमि की खातेदारी भी गंगाधर के छोटे भाई कल्ला के नाम हो गई। अपीलार्थी संख्या 1 की छोटी उम्र में ही अपीलार्थी संख्या 1 की माता एवं एवं पिता गंगाधार की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थी संख्या 1 का पालन पोषण तथा शादी ब्याह अपीलार्थी संख्या 1 के काका रेस्पोडेण्ड संख्या 2 के पिता कल्ला ने किया अपीलार्थी संख्या 1 तुलसा के काका अर्थात पिता के छोटे भाई कल्ला के भी कोई पुत्र एवं पत्नी जीवित नहीं थी अर्थात रेस्पोडेण्ड संख्या 2 मथुरा ही कल्ला की एक मात्र वारिस थी। उस समय रेस्पोडण्ट संख्या 1 का पति तथा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का पिता मांग्या पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी [illegible]णोता अपीलांट संख्या 1 के काका तथा अपीलांट संख्या 2 के पिता कल्ला के यहां बकरियां चराता था एवं हाल नौकर के रूप में काम करता था जो कल्ला के जीवन पर्यनत कल्ला के निर्देशानुसार खेती करता रहा और पैदावार का आधा हिस्सा हम अपीलार्थीगण एवं कल्ला को देता रहा। तत्पश्चात अपीलार्थी संख्या 2 के पिता कल्ला पुत्र हरचंदा का भी स्वर्गवास हो गया। [illegible]तु अपीलांटस ने स्त्री होने के कारण तथा स्वयं खेती बाडी का पुरा काम सम्भालने में असमर्थ होने के कारण कथित मांग्या को यथावत अपना हाली बनाए रखा और मांग्या से साझे बाटे पर खेती करवाती रही। मांग्या भी अपने जीवन भर अपीलांटस को अपीलांटस के पिता गंगाधर तथा [illegible] खातेदारी की भूमि की आधी पैदावार देता रहा। करीब साढे सा[illegible] के कथित हाली (नौकर) मांग्या का भी स्वर्गवास हो गया [illegible] मृत्यु के बाद मांग्या की पत्नी व पुत्र अर्थात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 [illegible] 2 हम अपीलार्थीगण को पुर्वानुसार आधी पैदावार देते रहे। लेकिन अभी तारीख 08. [illegible].2007 को जब अपीलांटस अपनी भूमि पर अपनी काश्त शुदा फसल को

[illegible] 12

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:33 IST
Reason: SelfAttested

8958784

...नीय तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांटस को अपीलांटस की
...भूमि पर आने से रोक दिया और अपीलांटस की पैत्रिक भूमि खसरा
...149/3, 181/3, 181/4 व 193 को ओणे पोणे दामों पर बेच कर
...विक्रय पत्र की रजिस्ट्री खरीददार के पक्ष में करवाने की बात कही
... अपीलांटस रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 से कथित आराजीयात को अपने पिता
...धर एवं कल्ला के खातेदारी की होना बताया और गंगाधर एवं कल्ला की
...यु के बाद दोनों अपीलांटस को कथित आराजीयात का एक मात्र वारिस
... की बात कही तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने तारीख 08.01.2007 को
...ली बार अपीलांटस के पिता गंगाधर व कल्ला के खातेदारी की उक्त
...राजीयात का नामान्तकरण आज से करीब बीस वर्ष पूर्व 1987 में ही अपने
.../पिता मांग्या के पक्ष में खुलवाने तथा मांग्या के मरने के बाद आज से
...ीब साढे सात वर्ष पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में खुलवा लेने
... बात बताई तारीख 08.01.2007 को रेस्पोडेण्टस द्वारा कथित बात बताने पर
...पीलांटस ने 09.01.2007 को तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर में आकर
...कार्ड की जानकारी की और उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दूसरे
...न 10.01.2007 को नकल प्राप्त की और अपने वकील को ले जाकर दिखाया
...ससे अपीलांट को पहली बार इस तथ्य की जानकारी हुई। गंगाधर तथा
...ल्ला के मरने के बाद उनकी खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण ग्राम
...ायत मुई द्वारा खातेदार गंगाधर और कल्ला के वारिसान की जांच किए
...ना ही तथा खातेदार गंगाधर व कल्ला की वारिस उनकी पुत्री तुलसा व
...ुरा जीवित होते हुए भी जीवित वारिसान के पक्ष में विरासत का
...मान्तकरण नहीं खोलकर एक स्ट्रेन्जर पर्सन मांग्या के पक्ष में विरासत का
...मान्तकरण स्वीकार किया है इस नामान्तकरण को रदद किए जाने बाबत यह
...पील पेश की जा रही है। निर्णय अदालत मातेहक खिलाफ कानून एवं
...येदाद मिसल होने के कारण निरस्त किया जाने योग्य है। नामान्तकरण
...चायत कोरम द्वारा तस्दीक न होने के कारण एवं मजमें आम में ... किया
...वा न होने के कारण रदद किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात ...
.../2 के पूर्व खातेदार गंगाधर के फोत होने के बाद गंगाधर के हिस्सा 1/2
...की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण गंगाधर की एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी
...अपीलांट संख्या 1 के नाम खोला जाना चाहिए था। उसके बाद शेष हिस्सा
.../2 के खातेदार कल्ला के मरने के बाद कल्ला की खातेदारी की उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:33 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

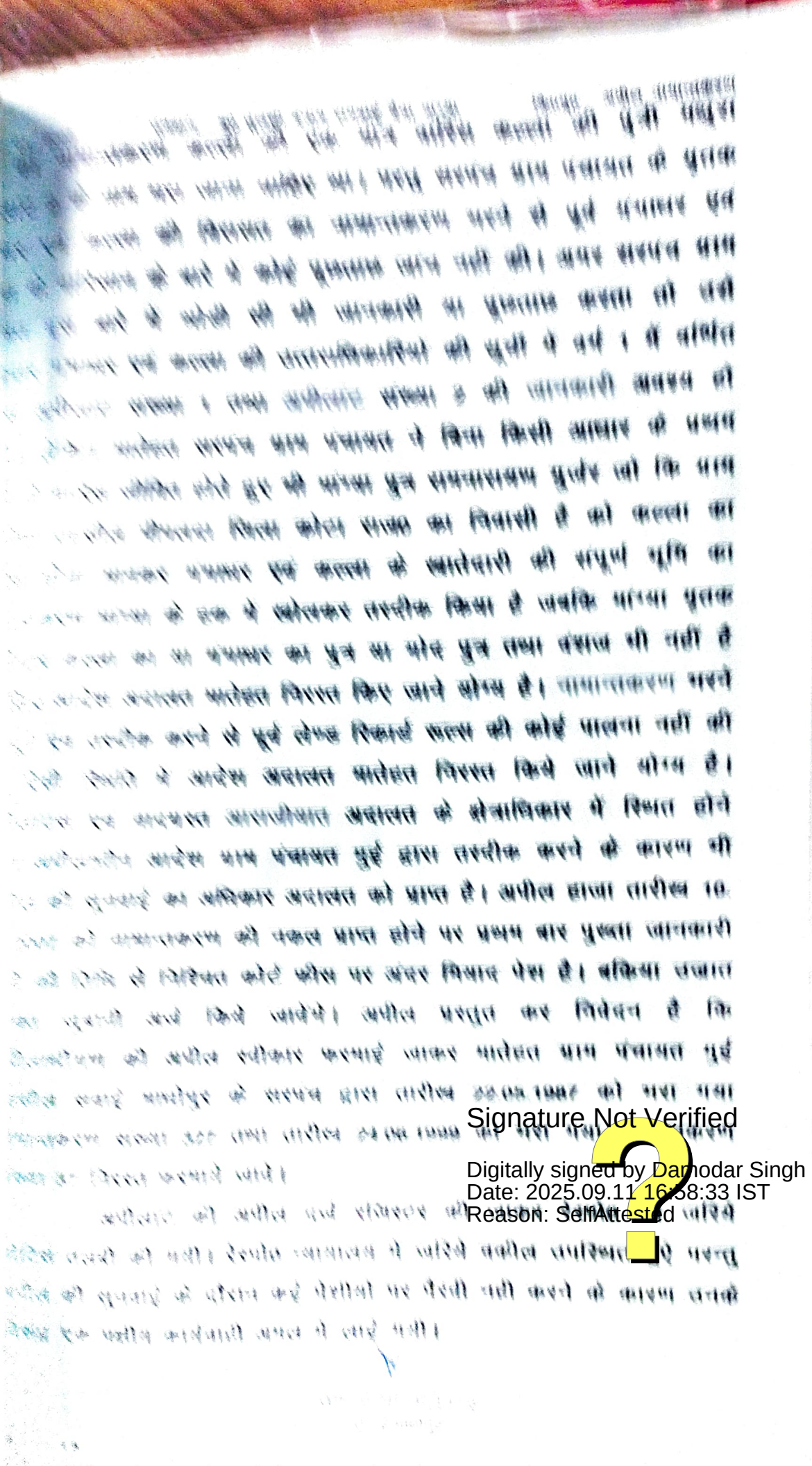

[illegible] घोषित करती की पूरी संपत्ति
[illegible] थी। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के पुराने
[illegible] का नामान्तरण करने से पूर्व इश्तहार एवं
[illegible] नहीं की। अतः [illegible] ग्राम
[illegible] की जानकारी या सूचना [illegible] को नहीं
[illegible] एवं [illegible] के उत्तराधिकारियों की सूची से वर्ष । के [illegible]
[illegible] संख्या 8 की जानकारी आवश्य की
[illegible] ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के प्रथम
[illegible] होते हुए भी मंगला पुत्र रामनारायण पुरोहित जो कि ग्राम
[illegible] जिला कोटा राजस्थान का निवासी है को कल्ला का
[illegible] एवं कल्ला के खातेदारी की संपूर्ण भूमि का
[illegible] के हक में खोलकर तस्दीक किया है जबकि मंगला पुत्र
[illegible] का पुत्र या पोता पुत्र तथा वंशज भी नहीं है
[illegible] मातहत निरस्त किए जाने योग्य है। नामान्तरण करने
[illegible] करने से पूर्व लोक रिकार्ड सत्य की कोई पालना नहीं की
[illegible] के आदेश अदालत मातहत निरस्त किये जाने योग्य है।
[illegible] अदालत के क्षेत्राधिकार में स्थित होने
[illegible] आदेश ग्राम पंचायत पुई द्वारा तस्दीक करने के कारण भी
[illegible] का अधिकार अदालत को प्राप्त है। अपील हाजा तारीख 10.
[illegible] की नकल प्राप्त होने पर प्रथम बार पूर्ण जानकारी
[illegible] कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। बकिया तथ्यात
[illegible] किये जावेंगे। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि
[illegible] को अपील स्वीकार फरमाई जाकर मातहत ग्राम पंचायत पुई
[illegible] के [illegible] द्वारा तारीख [illegible] 1997 को पास किया
[illegible] तथा तारीख [illegible] 1998 को [illegible]
[illegible] निरस्त फरमाये जावे।

अपीलार्थी को अपील एवं [illegible]
[illegible] से [illegible] वकील [illegible] परन्तु
[illegible] की सुनवाई के दौरान कई पेशियों पर पैरवी नहीं करने के कारण उनके
[illegible] वकील कार्यवाही [illegible] से [illegible] गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश की। बहस में
त किया है कि ग्राम नीमली कलां में स्थित विवादित आराजी गंगाधर, व
ा पिसरान हरचन्दा गुर्जर की खातेदारी की भूमि थी, जो उन्हें अलोट हुई
गंगाधर व हरचन्दा के कोई पुत्र संतान नहीं थी। गंगाधर के केवल तुलसाँ
की पुत्री तथा कल्ला के केवल मथुरा नाम की पुत्री थी।गंगाधर बड़ा भाई
और कल्ला छोटा भाई था । अपीलान्ट तुलसा के पिता गंगाधर तुलसा के
न में ही फोत हो गये थे, इस कारण उसके हिस्से की 1/2 भूमि गंगाधर
ोटे भाई कल्ला के नाम हो गई । अपीलार्थी संख्या 1 तुलसा के माँ–बाप
जाने के कारण तुलसा का पालन पोषण व शादी कल्ला (गंगाधर के छोटे
) ने ही की थी। कल्ला के भी कोई पुत्र संतान नहीं थी और पत्नि भी
चुकी थी । केवल लड़की मथुरा (अपीलान्ट सं० 2) ही एक मात्र वारिस थी
इस समय मांग्या पुत्र रामनारायण गुर्जर निवासी सीणता तहसील पीपलदा
ा कोटा कल्ला के यहाँ बकरियाँ चराने तथा हाली का काम करता था। जो
ला के जीवन काल तक यह काम करता रहा । फिर कल्ला का भी स्वर्गवास
गया । तब दोनो अपीलान्ट जो कि महिला है अकेले खेती बाड़ी का पुरा
न नहीं कर सकती थी इसलिए उन्हौने उक्त मांग्या को ही अपनी जमीन
ने बांटे पर देकर काश्त करवाई । जब तक मांग्या जीवित रहा तब तक
ाने अपीलार्थीगण के यहां हाली के रुप में काम किया और आधी फसल
ोलार्थीगण को देता रहा । सन् 2000 में इसलिए उक्त हॉली मांग्या भी फोत
गया । मॉग्या की पत्नि व पुत्र अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर
ी के रुप में काश्त कर 7–8 साल हमें आधी पैदावार देते रहे । जनवरी
07 में 8 तारीख को अपीलार्थीगण अपनी जमीन संभालने गई तो रेस्पोडेन्ट
) 1व 2 ने अपीलार्थीगण को भूमि पर आने से रोका और ओने पोने दामों में
ारी उक्त पैत्रिक भूमि को बेचकर खरीददार के हक में रजिस्ट्री कराने की
त कही । इस पर जब हमने उक्त जमीन हमारे पिता की खातेदारी की
ात कही तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने 8–1–2017 को यह बताया कि
मीन का नामान्तकरण तो आज से 20 साल पहले ही हमारे पिता /
ता मांग्या के नाम खुलवा लिया है और मांग्या मरा उसके बाद हमारे नाम
ुलवा लिया है । रेस्पोडेन्ट सं0 1व 2 द्वारा 8.1.2017 को यह बात बताने पर
पीलार्थीगण को पहली बार इस नामान्तकरण की जानकारी हुई तब अगले
देन अपीलार्थीगण ने रिकोर्ड की जानकारी कर प्रमाणित नकले प्राप्त कर उक्त

Signature Not Verified
Digitally Signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:33 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ल न्यायालय में पेश की है । खातेदार गंगाधर तथा कल्ला के मरने के ग्राम पंचायत मुई द्वारा खातेदारों के वारिसान की जाँच किये बिना ही खातेदारान के विधिक एवम् प्रथम श्रेणी के वारिस (पुत्रीयॉ) जीवित होते भी एक स्ट्रेन्जर पर्सन के हक में विरासत का नामान्तकरण भर दिया जो स्त होने योग्य है । उक्त नामान्तकरण पंचायत कोरम द्वारा मजमे आम में तस्दीक नहीं किया गया है। खातेदार गंगाधर मरा तब उसकी वारिस पुत्री सा (अपीलान्ट सं० 1) जीवित थी। इसलिए उसकी खातेदारी की सतका नामान्तकरण पुत्री तुलसा के नाम भरा जाना चाहिये था । श्चातदूसरा भाई कल्ला मरा तो कल्ला की खातेदारी की विरासत का के ान्तकरण कल्ला की पुत्री मथुरा (अपीलान्ट सं0 2) के नाम भरा जाना हेये था । लेकिन सरपंच ने वारिसान के बारे में कोई पूछताछ तथा नकारी नहीं की जबकि खातेदार गंगाधर व कल्ला की मृत्यू बाद उनकी म श्रेणी की वारिस उनकी पुत्रीयॉ जीवित थी परन्तु सरपंच ने बिना किसी धार के ग्राम सीणोता तहसील पीपलदा जिला कोटा जो कि खातेदार ाधर एवम् कल्ला का पुत्र अथवा गोद पुत्र तथा वंशज भी नहीं था, ान्तकरण भर दिया जो विधि विरूद्ध है। इस नामान्तकरण को भरते समय ड रूल्स की कोई पालना नहीं की गई है। अपीलार्थीगण को प्रथम बार नकारी होने पर अपीलार्थीगण ने उक्त अपील बिना देरी के न्यायालय में पेश है। जिसमें उक्त कृषि भूमि कागंगाधर व कल्ला के नाम गैर खातेदारी का कन हे। अपील के साथ जमाबंदी सम्वत 2038–41 पेश की गई है जिसमें ाधर व कल्ला के नाम खातेदारी स्वीकार होने का अंकन है। अपील के थ जमाबंदी सम्वत 2043–46 व नामान्तकरण पेश की गई है जिसमें मांग्या था मांग्या के वारिसान के नाम गलत अंकन किया गया है। अपीलार्थीगण की पील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तकरण अपास्त कर अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

वकील अपीलांट की लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण मे राजस्व [illegible] के मुताबिक खसरा नम्बर 149/3, 181/3, 181/4, व 193 कुल एकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता गंगाधर, कल्ला पि0 हरचंदा जाति गुर्जर सा0देह खातेदारी के रूप में दर्ज थी। अपीलांट संख्या 1 के पिता गंगाधर की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तकरण कल्ला पुत्र हरचंदा के नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.11 16:58:33
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

र्ड में दर्ज हुआ। कल्ला की पुत्री मथुरा जीवित होने के बावजूद भी कल्ला खातेदारी की भूमि मांग्या के दर्ज की गयी जो गलत है। अतः प्रकरण का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत मुई द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकण या 327 दिनांक 22.05.1987 अवैध है जिसको खारिज किया जाना उचित अतः अपीलांट का अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की ी है। ग्राम पंचायत मुई के नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 22.05.1987 नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 24.06.1999 को खारिज किया जाता है। सीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते कि राजस्व ग्राम निमली कलॉ में साबिक खसरा नम्बर 149/3, 181/3, 1/4, व 193 कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो अपीलांट के पिता गाधर, कल्ला पि0 हरचंदा जाति गुर्जर सा0देह खातेदारी के रूप में दर्ज थी। त्त भूमि का गंगाधर, कल्ला पि0 हरचंदा जाति गुर्जर के विधिक वारिसानो जॉच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल ामद किया जावें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई धोपुर को भिजवायी जावें। निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा केत कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
उपजिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.11 16:58:33 I
Reason: SelfAttested